11.01.2023

DEEPAK KUMAR GUPTA
Digitally signed by DEEPAK KUMAR GUPTA
Date: 2023.01.11 16:58:05 +0530

आवेदक अगनू वर्मा सहित श्री जी0डी0 वैष्णव अधिवक्ता।

प्रकरण मूल अभिलेख एवं संग्रहण प्रतिवेदन हेतु नियत है।

प्रकरण में प्रस्तुतकार से संग्रहण प्रतिवेदन प्राप्त एवं मूल अभिलेख के संबंध में उसे न्यायालय में प्राप्त नहीं होना एवं खोजा जाना लेख कर प्रतिवेदन पेश किया गया है।

इस विविध प्रकरण का अवलोकन किया गया।

आवेदक द्वारा आवेदन, दावा प्रकरण में जमा राशि प्रदान किये जाने बाबत पेश किया गया है।

इस विविध प्रकरण से संबंधित मूल दावा अभिलेख जो कि अधिकरण से निरंतर लोक अदालत में दिनांक–10.09.2022 को उभयपक्ष के मध्य राजीनामा के माध्यम से निराकृत अभिलेख है। उक्त निराकृत अभिलेख वर्तमान में न्यायालय में नहीं मिलना व खोजे जाने के संबंध में प्रस्तुतकार द्वारा प्रतिवेदन में बताया गया है तथा उक्त निराकृत मूल अभिलेख अभिलेखागार में जमा नहीं किया जाने बाबत् प्रतिवेदन दिनांक–05.12.2022 के आदेश पत्रिका में उल्लेखित है। इस संबंध में माननीय जिला न्यायधीश राजनांदगांव को सूचना पत्र उक्त दिनांक–05.12.2022 को प्रेषित किया जा चुका है।

चूंकि यह आवेदन, दावा मामले के आवेदक द्वारा राजीनामा पश्चात् बीमा कंपनी द्वारा जमा की गई राशि को प्राप्त करने के लिए पेश किया गया है तथा यह आवेदन दिनांक–18.10.2022 से पेश किया जाकर वर्तमान तक लंबित है एवं बीमा कंपनी द्वारा राजीनामा के आधार पर पारित अवार्ड राशि दिनांक–28.09.2022 को जमा किया जा चुका है।

इसके साथ ही आवेदक की ओर से इस अधिकरण द्वारा पारित राजीनामा अवार्ड की आवेदक को प्राप्त सत्य प्रति को भी पेश

किया गया है एवं अवार्ड राशि को आवेदक को दिये जाने से विलंब केवल मूल अभिलेख प्राप्त नहीं होने के आधार पर किया जाना न्यायोचित नहीं है।

ऐसी स्थिति में उक्त अवार्ड राशि प्राप्त करने संबंधी आवेदक द्वारा पेश आवेदन पर आज ही प्रकरण में तर्क श्रवण किया गया।

इस अधिकरण में राजीनामा द्वारा निराकृत दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक–266/2021, अगनू वर्मा, राजीनामा अधिनिर्णय दिनांक–10.09.2022 की सत्यप्रति का अवलोकन किया गया जिसमें आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक–3 बीमा कंपनी के मध्य लोक अदालत के माध्यम से समझौता होकर स्वेच्छापूर्वक राजीनामा होने से इस अधिकरण द्वारा आदेशित किया गया है कि अनावेदक क्रमांक–03 कुल प्रतिकर की राशि 3,50,000/– रूपये (तीन लाख पचास हजार रूपये) आवेदक को आदेश/अवार्ड दिनांक से 60 दिन के अंदर अधिकरण में जमा करेंगे अन्यथा क्षतिपूर्ति राशि पर आदेश दिनांक से अदायगी दिनांक तक 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

आवेदक अवार्ड राशि 3,50,000/–रूपये (तीन लाख पचास हजार रूपये) एकाउंट पेयी चेक/ई–पेमेन्ट के माध्यम से सीधे उनके खाते में नगद प्राप्त किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

इस अधिकरण के उपरोक्त आदेश के परिपालन में अनावेदक क्रमांक–3 बीमा कंपनी द्वारा इस अधिकरण के खाते में दिनांक–28.09.2022 को हॉगकांग संघई बैकिंग कार्पोरेशन शाखा मुम्बई का चेक क्रमांक–350917, दिनांक–20.09.2022, राशि 3,50,000/– रूपये (तीन लाख पचास हजार रूपये) जमा किया गया है, जो इस अधिकरण के खाते में दिनांक–30.09.2022 को क्लीयरेंस

होकर जमा हो चुका है। उक्त संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुतकार द्वारा प्रेषित किया जा चुका है।

उपरोक्त आदेशानुसार अधिकरण में जमा राशि को प्राप्त करने के लिए आवेदक अगनू वर्मा द्वारा यह आवेदन पेश किया गया है।

अतः आवेदक को प्राप्त होने वाली राशि 3,50,000/–रूपये (तीन लाख पचास हजार रूपये) एकाउंट पेयी चेक/ई–पेमेन्ट के माध्यम से सीधे उनके खाते में जमा किया जावे।

आवेदक की पहचान उसके अधिवक्ता श्री जी0डी0 वैष्णव द्वारा की गई है।

आवेदक अगनू वर्मा के द्वारा अपने पहचान के संबंध में आधार कार्ड एवं बैंक खाते की स्वयं के द्वारा सत्यापित छायाप्रति जिनमें आवेदक अगनू वर्मा के पंजाब नेशनल बैंक शाखा सदर बाजार, मेन रोड, राजनांदगांव का एकांउट नंबर–6777001700036145, आई0एफ0एस0सी0 कोड PUNB0070410, खाते की राशि को संबंधित बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में जमा करने बाबत ज्ञापन की प्रति भेजी जावे तथा एक प्रति पृथक से आवेदक को दी जावे।

अतः आवेदक के नाम पर उक्त राशि ई–बैकिंग अर्थात् आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा करने बाबत् बैंक मैनेजर को पृथक से पालन प्रतिवेदन इस अधिकरण को प्रेषित करे। ज्ञापन के साथ आवेदक के आधार कार्ड एवं बैंक खाते की छायाप्रति संलग्न किया जावे।

उक्त ज्ञापन की एक प्रति आवेदक को प्रदान की जाकर पावती ली गई।

प्रकरण समाप्त।

इस विविध प्रपत्र को निराकृत मूल अभिलेख के प्राप्ति होने पर उसके साथ संलग्न कर नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे। अथवा माह जनवरी 2023 के निराकृत प्रकरणों के साथ संलग्न कर उपरोक्त टीप कि मूल अभिलेख प्राप्त होने पर उसमें संलग्न किया जावे, अभिलेखागार में इस विविध प्रपत्र को भेजा जावे।

सही / –

(दीपक कुमार गुप्ता)

द्वितीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण राजनांदगांव

जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)